



डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर

(A Govt. State University of Rajasthan, Established by an Act No. 6 of 2019)
कार्यालय (पत्राचार) - "रूसा भवन", डॉ. एस. राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015

www.alujaipur.ac.in

E-mail: registrar@alujaipur.ac.in

क्रमांक: प.6II(67)शैक्षणिक-II/अवि/2020-21/583

दिनांक: 15.4.21

सम्बद्धता आदेश 2020-21

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्याक 6) की धारा 4 की उपधारा (1) (2) (क) (ख) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 (एक सत्र) के लिये कुलपति महोदय की अनुमति से निम्न विधि महाविद्यालय को 'मानद सम्बद्धता' (Deemed to be affiliated) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	निरीक्षण समिति द्वारा सम्बद्धता हेतु लगायी गई शर्तें
B.J.S. Rampuria Jain Law College, Sector-III, JNV Colony, Bikaner, Pin - 334001	LL.B Three Year 300 Seats LL.M 40 Seats P.G. Diploma in Labour 60 Seats P.G. Diploma in Criminology 60 Seats	संलग्न :- No.-F-07(196)/MGSUB/Acad./2020/11726 Dated 28.07.2020 & 17572 Dated: 13.08.2015

- राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.15(5)शिक्षा-4/2020 जयपुर, दिनांक 22.07.2020 एवं दिनांक 04.02.2021 की अनुपालना में यह मानद सम्बद्धता (Deemed to be affiliated) दी जा रही है।
- यह मानद सम्बद्धता (Deemed to be affiliated) पूर्व विश्वविद्यालय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा जारी सम्बद्धता के आदेश क्रमांक/पत्रांक F-07(196)/MGSU/Acad./2020/11726 Dated 28.07.2020, 17572 Dated 13.08.2015 एवं नोटशीट पैरा एन/441 दिनांक 05.04.2016 के अनुक्रम में उन्ही शर्तों व निरीक्षण, पर्यवेक्षण (observations) के आधार पर दी जा रही है। विधि महाविद्यालय दी गई अपनी सूचनाओं के लिए, पूर्णतया स्वयं उत्तरदायी होगा।
- सत्र 2021-22 की सम्बद्धता हेतु आवेदन के समय पूर्व विश्वविद्यालय के निरीक्षण समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- शिक्षा सत्र 2020-21 में विधि प्रथम वर्ष स्नातक एवं स्नातकोत्तर, एवं डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले छात्रों का नामांकन एवं परीक्षा कार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा ही सम्पादित होना है।
- सत्र 2019-20 तक प्रवेशित/नामांकित सभी छात्रों की परीक्षा आयोजन व उपाधि अंकतालिका इत्यादि प्रदान करने का उत्तरदायित्व पूर्व विश्वविद्यालय का ही होगा।
- संस्था द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क BCI/ आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान को आवेदन करना होगा।
- संस्था सत्र 2021-22 में निर्धारित अवधि में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर नियमानुसार अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- आवश्यकतानुसार विधि विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण कभी भी किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी। जिसकी कभी भी समीक्षा की जा सकेगी। समीक्षा पर इस विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं BCI द्वारा जारी निर्धारित सीट हेतु अनुमोदन पत्र इस कार्यालय के पत्र के दिनांक से 07 दिन में भिजवाने का श्रम करावें।
- यह मानद सम्बद्धता डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के अधिनियम, 2019 (संख्याक 6) की धारा 4 की उपधारा (1) व (2) (क) (ख) में वर्णित अनुरूप सत्र 2020-21 हेतु दी जा रही है। भविष्य में महाविद्यालय को इस विश्वविद्यालय के उक्त अधिनियम व परिनियमों, आर्डिनेन्स और विनियमों एवं भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों और बोर्ड ऑफ मेनेजमेन्ट की शर्तों तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अध्यधीन रहना होगा।

(राज नारायण शर्मा, आर.ए.एस.)

कुलसचिव